

**न्यायालय:-द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1, तहसील बैहर,  
जिला बालाघाट (म0प्र0)  
समक्ष:-दिलीप सिंह**

व्य0वा0क0- 300014 / 2015

संस्थित दिनांक-23.03.2015

फाईलिंग नंबर-234503002792015

- 1- रैवन बाई उम्र 36 वर्ष पिता बिरसिंह जाति गोंड
- 2- रामबती बाई उम्र 33 वर्ष पिता बिरसिंह जाति गोंड  
दोनों निवासी-ग्राम कोसुम्डी, तह. किरनापुर जिला बालाघाट म.प्र.।
- 3- कपुरा बाई उम्र 66 वर्ष, पिता मिंटु जाति गोंड,  
साकिन बिलालकसा, तहसील बैहर, जिला बालाघाट म.प्र.।
- 4- कुंजूलाल उम्र 45 वर्ष पिता स्व. देवसिंह जाति गोंड,  
साकिन बोदा दलख तहसील लॉजी, जिला बालाघाट म.प्र.।
- 5- कैजाबाई उम्र 50 वर्ष पिता स्व. देवसिंह जाति गोंड,  
साकिन बोदा दलखा तहसील लॉजी, जिला बालाघाट म.प्र.।  
.....**वादीगण।**

**- / / विरुद्ध / / -**

- 1- कुर्वरलाल उम्र 45 वर्ष पिता कोड्डी जाति गोंड,  
साकिन-पौसेरा पो. घोटी तह. लॉजी जिला बालाघाट म.प्र.।
- 2- मध्यप्रदेश राज्य तर्फे कलेक्टर महोदय, बालाघाट।  
.....**प्रतिवादीगण।**

**- / / निर्णय / / -**

**(आज दिनांक-29 / 08 / 2017 को घोषित)**

- 1- वादीगण ने यह वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध विवादग्रस्त भूमि के स्वत्व घोषणा एवं संशोधन पंजी क्रमांक 36 दिनांकित-16.02.2005 को प्रभावशून्य घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया है।
- 2- वादीगण का वादपत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं तथा प्रति.क. 01 वादीगण के पृथक परिवार का व्यक्ति है। वादग्रस्त भूमि के विवरण का उल्लेख वादपत्र के पैरा-02 में है। ग्राम चिलोरा(चौरिया) की वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। वादपत्र के पैरा-3 में वादीगण के खानदानी सिजरा का उल्लेख है। मूल पुरुष मिंटु की हंसोबाई, कपूराबाई एवं मानोंबाई पुत्रियां थी। वादीगण के मध्य आपसी खानदानी सिजरा में खानदानी वंशावली में उनके पिता मिंटु की मृत्यु के

पश्चात् हंसोबाई जौजे देवसिंह, कपूराबाई जौजे जया, मानोबाई जौजे बिरसिंह का नाम संशोधन पंजी दिनांक—15.02.1974 के अनुसार राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ था। मिंटु की मृत्यु के पश्चात् एवं हंसोबाई, मानोबाई की मृत्यु के पश्चात् संशोधन पंजी क्रमांक—37 दिनांक 16.02.2005 के अनुसार मृतक हंसोबाई मानोबाई के वैध वारसान (वादीगण) के नाम के साथ जीवित कपूराबाई के नाम को विलोपित कर संशोधन पंजी क्र. 37 के द्वारा वादपत्र के पैरा—4 में उल्लेखित सिजरा की गलत प्रतिविष्टि की गई थी।

3— वादीगण ने वादपत्र में यह भी बताया है कि हंसोबाई की वैध वारसान वादी क्रमांक 04 व 05 है तथा मानोबाई की वैध वारसान वादी क्रमांक 01 व 02 है व कपूरा बाई वर्तमान में जीवित हैं। कपूराबाई के नाम के साथ उसके पति का नाम कोड्डी लेख कर उसका वारसान प्रति. क्र.01 को मानते हुए राजस्व प्रलेखों में प्रविष्टि की गयी है जो पूर्णतः त्रुटीगत है एवं उक्त सिजरा में हंसोबाई के नाम की पुनरावृत्ति कर मानोबाई के नाम को विलोपित करते हुए उनके वैध वारसान वादी क्रमांक 01, 02, 04,05 के नाम को राजस्व प्रलेखों में इंद्राज ना करते हुए वादग्रस्त भूमि पर से उनका हक नष्ट किया गया है। हंसोबाई व मानोबाई की मृत्यु के पश्चात् उनके वारसानों का नाम विधिवत राजस्व प्रलेखों में प्रविष्टि नहीं किया गया है। कपूराबाई के जीवित होने के कारण प्रति.क्र. 01 उसका वैध पुत्र नहीं होने के कारण वाद ग्रस्त भूमि पर प्रति.क्र. 01 का नाम लेख किया जाना अनुचित है। प्रति.क्र. 01 के पिता का नाम कोड्डी है वह कपूराबाई के पति जयसिंह से कोई करीबी रिश्ता नहीं रखता है। प्रति.क्र. 01 के द्वारा राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारी से मिलकर विधि विरुद्ध तरीके से वाद ग्रस्त भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है एवं हंसोबाई व मानोबाई की मृत्यु के पश्चात् फौती कार्यवाही में कपूरा बाई को भी मृत घोषित करवा लिया गया है। मानोबाई व हंसोबाई को लाओलाद बताकर संशोधन दिनांक—16.02.2005 को प्रति.क्र. 01 ने अनावश्यक व अवैधानिक रूप से कपूरा बाई को कोड्डी की पत्नी व स्वयं को उसका पुत्र बताकर संशोधन में प्रविष्टि करायी है। कपूराबाई को वादग्रस्त भूमि से संबंधित राजस्व दस्तावेज प्राप्त करने पर दिनांक 07.04. 2014 को ज्ञात हुआ कि उक्त पैतृक भूमि पर उसके वैध वारसानों का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज नहीं है। वादीगण ने प्रति.क्र.1 के विरुद्ध वादपत्र की प्रार्थना के अनुसार उनके पक्ष में आज्ञाप्ति दिए जाने निवेदन किया है।

4- प्रकरण में प्रति.क्र. 01 दिनांक-27.10.15 को एवं प्रति.क्र.-2 दिनांक-05.05.2016 को एकपक्षीय हो गए हैं, इस कारण उनकी ओर से वादीगण के वादपत्र का जवाबदावा नहीं दिया है।

5- प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है:-

- 1-क्या वादीगण राजस्व संशोधन पंजी क्रमांक-37 दिनांकित-16.02.2005 को शून्य घोषित कराने के अधिकारी हैं ?
- 2-क्या वादपत्र के पैरा-2 में उल्लेखित वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक होकर उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की है ?
- 3-क्या वादीगण विवादित भूमि पर नामांतरण कराने के अधिकारी हैं ?

### विवेचना एवं निष्कर्ष:-

#### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1

6- रेवनबाई वा.सा.1 ने उसके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र में बताया है कि वादीगण एक ही परिवार के सदस्य हैं। प्रति.क्र.-1 पृथक परिवार का व्यक्ति है। मूल पुरुष मिंटु की तीन पुत्रियां मानोबाई, कपुराबाई व हंसोबाई थी। मिंटु की मृत्यु हो गई है। मिंटु के नाम से भूमि खसरा नंबर-29/1, 30/1-0, 25, 31/1, 37, 31,32-0, 43, 33-0, 34, 34-0, 52, 35-0, 75,3,65, 37-0, 24,38/1-ठ कुल रकबा 2.869 प.ह.नंबर-34 साकिन चिरौरा, चौरिया रा.नि.मं. दमोह स्थित भूमि राजस्व प्रलेखों में दर्ज थी। मूल पुरुष मिंटु की मृत्यु के पश्चात् संशोधन पंजी दिनांक-15.02.1974 के अनुसार क्रमशः हंसोबाई, कपुराबाई व मानोबाई का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज हुआ था। मिंटु की तीनों पुत्रियों का नाम उनकी मृत्यु के पश्चात् उनकी भूमि पर दर्ज हुआ था। हंसोबाई, मानोबाई की मृत्यु के पश्चात् संशोधन पंजी क्रमांक-37 दिनांक-16.02.2005 के द्वारा मृतक हंसोबाई, मानोबाई के वैध वारसान के नाम के साथ कपुराबाई के नाम को विलोपित कर संशोधन पंजी क्रमांक-37 दिनांक-16.02.2005 के अनुसार गलत प्रविष्टि की गई थी। उक्त संशोधन पंजी में दर्शित सिजरा के अनुसार त्रुटिपूर्ण प्रविष्टि की गई थी। हंसोबाई के वारसान वादी क्रमांक-4 व 5 है और मानोबाई के वारसान वादी क्रमांक-1 व 2 है। कपुराबाई के पति का नाम जया है। कपुराबाई के नाम के साथ उसके पति कोड्डी का नाम लेख कर उसका वारसान प्रतिवादी क्र.1 को मानते हुए

राजस्व प्रलेखों में प्रविष्टि की गई थी। संशोधन पंजी क्र-37 के सिजरा में हंसोबाई के नाम की पुनरावृत्ति कर मानोबाई के नाम को उल्लेखित करते हुए उनके वारसान वादी क्रमांक-1 लगायत 5 के नाम को राजस्व प्रलेखों में इन्द्राज नहीं करते हुए वादग्रस्त भूमि में से उनका हक नष्ट किया गया है। वादी साक्षी क्र.01 की साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी रूपचंद वा.सा.2 शंकरनाथ वा.सा.3 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र की साक्ष्य में किया है। वादी रैवनबाई ने दस्तावेजी साक्ष्य में खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-1, नक्शा प्रदर्श पी-2, संशोधन पंजी दिनांक-16.05.2005 की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी-3, संशोधन पंजी दिनांक-15.02.1974 की सत्यप्रति प्रदर्श पी-4, वादग्रस्त भूमि का अधिकार अभिलेख प्रदर्श पी-5 प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण एकपक्षीय हो गए हैं, इस कारण प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण की साक्ष्य के खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

7- वादीगण ने लिखित तर्क में बताया है कि संशोधन पंजी क्र-37 में हंसोबाई एवं मानोबाई को लॉओलाद फौत बताकर हंसोबाई के नाम का उल्लेख करने में त्रुटि कर हन्नोबाई-हन्नोबाई लेख किया गया है। जबकि हंसोबाई के नाम का त्रुटिपूर्ण उल्लेख कर हन्नोबाई-हन्नोबाई लेख किया गया है, उसकी संतान वादी क्र 04 एवं 05 है, तथा मानोबाई जिसे लाओलाद बताया गया है, उसकी संतान वादी क्र 01 एवं 02 है। वादीगण की संपूर्ण लिखित तर्क का मनन किया गया।

8- प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी-5 के वर्ष 1954-55 के अधिकार अभिलेख में विवादित भूमि पर मिंटु का नाम दर्ज है। वादग्रस्त भूमि वादी क्रमांक-3 एवं उसकी मृतक बहन मानोबाई, हंसाबाई के पिता मिंटु की थी। दिनांक-15.02.1974 के संशोधन पंजी प्रदर्श पी-4 के द्वारा मिंटु के फौत होने के कारण उसकी भूमि उसकी पत्नी एवं पुत्रियों के नाम पर दर्ज हुई थी। उसके उपरांत प्रति.क्र.01 ने संशोधन पंजी क्रमांक-37 दिनांकित 16.02.2005 प्रदर्श पी-3 के द्वारा विवादित भूमि विरासत हक की बताकर उक्त संशोधन पंजी में हंसोबाई का नाम गलत हन्नोबाई का नाम दो बार लिखाकर हन्नोबाई को लाओलाद फौत बताकर एवं जीवित कपूराबाई को फौत बताकर कपूराबाई के पति का नाम कोड्डी लिखाकर एवं स्वयं को कपूराबाई का वारसान बताकर वादग्रस्त भूमि अपने नाम पर उक्त संशोधन पंजी के द्वारा दर्ज करा ली थी। प्रदर्श पी-1 के खसरा पांचसाला में भी प्रति.क्र.01 ने



विवादित भूमि पर अपना नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज करा लिया है। प्रकरण में प्रति.क.01 एकपक्षीय हो गया है। प्रति.क.01 की ओर से वादीगण की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। प्रदर्श पी-4 की संशोधन पंजी से यह दर्शित है कि विवादित भूमि प्रति.क.03 एवं उसकी मृतक बहनें मानोबाई, कपूराबाई के पिता मिंटु की होकर पैतृक भूमि थी। प्रति.क.01 ने प्रदर्श पी-क.03 की संशोधन पंजी में कपूराबाई को मृत बताकर एवं कपूराबाई के पिता का नाम कोड्डी बताकर एवं स्वयं को कपूराबाई का वारसान बताकर कपूराबाई एवं उसकी मृतक दोनों बहनों की भूमि अपने नाम पर दर्ज करा ली थी। इस कारण वादी क.03 कपूराबाई एवं उसकी मृतक बहन मानोबाई की पुत्री रेवनबाई वादी क.01, रामवतीबाई वादी क. 02 एवं मृतक हंसोबाई का पुत्र वादी क्रमांक-4 एवं पुत्री वादी क.05 उक्त संशोधन पंजी क्र-37 दिनांकित 16.02.2005 को शून्य एवं घोषित कराने के अधिकारी हैं।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-2

9— वादी रेवनबाई वा.सा.1 ने शपथपत्र की साक्ष्य में बताया है कि राजस्व अभिलेख में हंसोबाई, मानोबाई की मृत्यु के पश्चात् उनके वारसानों के नाम की प्रविष्टि राजस्व प्रलेखों में नहीं की गई है। कपूराबाई के जीवित होने एवं प्रति.क.-1 उसका वैध पुत्र नहीं होने के उपरान्त वादग्रस्त भूमि पर प्रति.क.-1 का नाम दर्ज किया गया है। प्रतिवादी क-1 के पिता का नाम कोड्डी है। प्रति. क-1 ने राजस्व कर्मचारियों एवं अधिकारियों से मिलकर विधि विरुद्ध तरीके से विवादित भूमि पर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। विवादित भूमि वादीगण की पैतृक संपत्ति होने से उनके स्वत्व की भूमि है, जिस पर वादीगण का नाम राजस्व प्रलेखों में दर्ज किया जाना चाहिए। हंसोबाई, मानोबाई की मृत्यु के उपरान्त फौती कार्यवाही में कपूराबाई को मृत घोषित करवा लिया गया है। मानोबाई व हंसोबाई को लाओलाद बताकर दिनांक-16.02.2005 की संशोधन पंजी प्रदर्श पी-3 में प्रति.क.-1 ने अवैधानिक रूप से कपूराबाई को कोड्डी की पत्नी एवं स्वयं को उसका पुत्र बताकर प्रविष्टि कराई है। वादी रेवनबाई की साक्ष्य का समर्थन उसके साक्षी रूपचंद वा.सा.2, शंकरनाथ वा.सा.3 ने उनके मुख्यपरीक्षण के शपथपत्र

की साक्ष्य में किया है। वादीगण ने इस संबंध में लिखित तर्क भी प्रस्तुत की है।

10— प्रकरण में वादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गए खसरा पांचसाला प्रदर्श पी-1 में विवादित भूमि पर प्रति.क.01 का नाम स्वामी एवं आधिपत्यधारी के रूप में दर्ज है, परंतु वादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई प्रदर्श पी-4 की संशोधन पंजी दिनांकित 15.02.1974 एवं वर्ष 1954-55 के प्रदर्श पी-5 के अधिकार अभिलेख से यह प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि वादी क्रमांक-3 एवं उसकी मृतक बहनें मानोंबाई, हंसोबाई के पिता मिंटु की होकर उनकी पैतृक भूमि थी। रेवनबाई, रामवती मृतक मानोंबाई की पुत्री है एवं कुंजलाल, केजाबाई, हंसोबाई के पुत्र-पुत्री हैं। वादी क्रमांक-1,2,4,5 की माँ की मृत्यु हो गई है। इस कारण वादग्रस्त भूमि पर वादी क्रमांक-1,2,4,5 एवं वादी क्रमांक-3 मिंटु की पुत्री होने के कारण एवं विवादग्रस्त भूमि वादिनी क्रमांक-3 एवं उसकी मृतक बहनों की पैतृक होने के कारण मृतक बहनों के वारसान एवं वादी क्रमांक-3 के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना प्रमाणित माना जाता है।

### विचारणीय प्रश्न क्रमांक-3

11— विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 में विवादित भूमि की संशोधन पंजी क्रमांक-37 दिनांकित-16.02.2005 शून्य मानी गई है, इस कारण वादीगण विवादग्रस्त भूमि के ख.क्र. 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28/1क कुल रकबा 2.869 ग्राम चिरौरा, चौरिया तह. बैहर जिला बालाघाट का नामांतरण अपने पक्ष में कराने के अधिकारी हैं।

10— प्रकरण की उपरोक्त विवेचना में वादीगण भूमि ख.क्र. 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28/1क कुल रकबा 2.869 ग्राम चिरौरा, चौरिया तह. बैहर जिला बालाघाट की भूमि के संबंध में अपना वादपत्र प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रमाणित करने में सफल रहे हैं। अतः वादीगण का वादपत्र स्वीकार किया जाकर परिणामस्वरूप निम्न आशय की डिक्री पारित की जाती है:-

(1)-यह प्रमाणित माना जाता है कि भूमि ख.क्र. 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28/1क कुल रकबा 2.869 ग्राम चिरौरा, चौरिया तह. बैहर जिला बालाघाट की भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है।

(2)—यह घोषित किया जाता है कि वादीगण भूमि ख.क्र. 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28/1क कुल रकबा 2.869 ग्राम चिरौरा, चौरिया तह. बैहर जिला बालाघाट की भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं।

(3)—यह घोषित किया जाता है कि संशोधन पंजी क्रमांक—37 दिनांकित 16.02.2005 की प्रविष्टि वादीगण पर अबंधनीय होकर शून्य है।

(4)—यह घोषित किया जाता है कि वादीगण भूमि ख.क्र. 29/1, 30/1, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 28/1क कुल रकबा 2.869 ग्राम चिरौरा, चौरिया तह. बैहर जिला बालाघाट की भूमि का अपने पक्ष में नामांतरण कराने के अधिकारी हैं।

(5)—प्रतिवादी क्र.01 वादीगण का वाद व्यय वहन करेगा।

(6)—अभिभाषक शुल्क नियमानुसार देय होगी।

तदनुसार डिक्री बनाई जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,  
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित।

(दिलीप सिंह)

द्वि०व्य०न्याया० वर्ग—1,  
तह.बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

(दिलीप सिंह)

द्वि०व्य०न्याया० वर्ग—1,  
तह.बैहर जिला बालाघाट म.प्र.